न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री अजीतसिंह राजावत, आर.ए.एस.

[1] राजस्व अपील संख्या 031 / 2024

1. सुरेश चन्द्र मदेरणा पुत्र भेरूसिंह जाट
2. सायरी पत्नी भूराराम जाट
   निवासीगण ग्राम शैतानसिंह नगर, तहसील लोहावट
   जिला फलोदी
3. जगदीश पालीवाल पुत्र रामचन्द्र पालीवाल
   निवासी 119 / 02, नया पोस्ट ऑफिस के पास
   आदर्श नगर, फलोदी
4. गणेशराम पुत्र भेराराम जाट
   निवासी ग्राम श्री कृष्णानगर,
   तहसील आउ, जिला फलोदी
5. रूखी पत्नी किसनाराम जाट
   निवासी ग्राम शैतानसिंह नगर, तहसील लोहावट
   जिला फलोदी
6. समसुदीन पुत्र मीरे खां मुसलमान
7. नसरदीन पुत्र मीरे खां मुसलमान
8. इकबाल पुत्र कालू खां मुसलमान
   निवासीगण ग्राम शैतानसिंह नगर, तहसील लोहावट
   जिला फलोदी
9. करनाराम पुत्र भबुतराम,
   निवासी सोउ की ढाणीया रिनिया,
   तहसील तिंवरी जिला जोधपुर
10. हरिराम पुत्र अर्जुनराम विश्नोई
    निवासी ग्राम जम्भेश्वर नगर मोटाई
    तहसील बाप, जिला फलोदी
11. पोकरराम पुत्र भींयाराम जाट
12. केसूराम पुत्र जगरामाराम जाट
13. खेमाराम पुत्र मगनाराम जाट
    निवासीगण ग्राम शैतानसिंह नगर, तहसील लोहावट
    जिला फलोदी
14. हरिराम पुत्र दलाराम सुथार
15. पूनाराम पुत्र दलाराम सुथार
16. धन्नाराम पुत्र नथुराम सुथार
    निवासीगण ग्राम शैतानसिंह नगर, तहसील लोहावट
    जिला फलोदी

अपीलाण्ट्स...

ब ना म

1. सुगनकंवर पुत्री तख्तसिंह पत्नी भीखसिंह राजपूत
   निवासी ग्राम बेदू कलां निम्बों का तालाब
   तहसील बापिणी, जिला फलोदी

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

2. सुमेरसिंह पुत्र तख्तसिंह के कायममुकामन–
   2.1. अणचकंवर पत्नी सुमेरसिंह राजपूत
   2.2. सांगसिंह पुत्र सुमेरसिंह राजपूत
   निवासीगण शैतानसिंह नगर, तहसील लोहावट
   जिला फलोदी
   2.3. सुआकंवर पुत्री समेरसिंह राजपूत
3. जालमसिंह पुत्र तख्तसिंह के कायममुकामान–
   3.1. धापूकंवर पत्नी जालमसिंह राजपूत
   3.2. हुक्मसिह पुत्र जालमसिंह राजपूत
   3.3. विक्रमसिंह पुत्र जालमसिंह राजपूत,
   निवासीगण ग्राम रणजीतसिंह की ढाणी,
   शैतानसिंह नगर, तहसील लोहावट,
   जिला फलोदी
   3.4. अनोपकंवर पुत्री जालमसिंह पत्नी कानसिंह राजपूत,
   निवासी ग्राम चिमाणा, तहसील घंटियाली,
   जिला फलोदी
   3.5. निजुकंवर पुत्री जालमसिंह राजपूत,
   निवासी डेढा चक, शेरगढ
   3.6. मनोहरकंवर पुत्री जालमसिंह राजपूत
   निवासी ग्राम शैतानसिंह नगर तहसील लोहावट
   जिला फलोदी
   3.7. प्रेमकंवर पुत्री जालमसिंह राजपूत,
   निवासी लखसिंह की ढाणी, साकडा,
   जैसलमेर
   3.8. आसुकंवर पुत्री जालमसिंह राजपूत,
   निवासी चिमजीकी ढाणी, देध चक ई ई जोधपुर
   देदा हपन शेरगढ राजस्थान 342025
4. हरकंवर पुत्री तख्तसिंह के कायममुकामान–
   4.1. मनोहरसिंह पुत्र रामसिंह के कायममुकामान–
      4.1.1.सोहनकंवर पत्नी मनोहरसिंह राजपूत,
      4.1.2.आनन्दसिंह पुत्र मनोहरसिंह राजपूत
      4.1.3.ओंकारसिंह पुत्र मनोहरसिंह राजपूत
      4.1.4.रविन्द्रसिंह पुत्र मनोहरसिंह राजपूत
      निवासीगण ककू हाउस, एकलव्य स्कूल के पास,
      इन्द्रा कॉलोनी, बीकानेर 334001
   4.2. राजेंद्रसिंह पुत्र रामसिंह राजपूत
   निवासी हाउस नम्बर 482
   एकलव्य स्कूल के पास,

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

इन्द्रा कॉलोनी, बीकानेर 334001

4.3. रूगनाथसिंह पुत्र रामसिंह के कायममुकामन–

4.3.1.जयसिंह पुत्र रूगनाथसिंह राजपूत
वार्ड नम्बर 08, ककू तहसील नोखा
जिला बीकानेर 334803

4.4. कमलाकंवर पुत्री रामसिंह पत्नी भंवरसिंह राजपूत
निवासी कवलीसर, तहसील नोखा
जिला बीकानेर 334803

5. गवरीकंवर पुत्री तख्तसिंह पत्नी भैरूसिंह के कायममुकामान–

5.1. गोरखसिंह पुत्र भैरूसिंह राजपूत,
निवासी ग्राम कडवा, तहसील बापिणी,
जिला फलोदी

6. ग्राम पंचायत शैतानसिंह नगर (बानासर)
जरिये सरपंच ग्राम पंचायत शैतानसिं नगर
तहसील लोहावट, जिला फलोदी

7. सरकार जरिये तहसीलदार लोहावट
जिला फलोदी

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लोहावट दिनांक 18 जुलाई 2023 म्युटेशन अपील संख्या 3/2023 सुगनकंवर बनाम सुमेरसिंह के कायममुकामान व अन्य

---

[2] राजस्व अपील संख्या 005/2024

1. सुरेश चन्द्र मदेरणा पुत्र भेरूसिंह जाट
2. सायरी पत्नी भूराराम जाट
निवासीगण ग्राम शैतानसिंह नगर, तहसील लोहावट
जिला फलोदी
3. जगदीश पालीवाल पुत्र रामचन्द्र पालीवाल
निवासी 119/02, नया पोस्ट ऑफिस के पास
आदर्श नगर, फलोदी
4. गणेशराम पुत्र भेराराम जाट
निवासी ग्राम श्री कृष्णानगर,
तहसील आउ, जिला फलोदी
5. रूखी पत्नी किसनाराम जाट
निवासी ग्राम शैतानसिंह नगर, तहसील लोहावट
जिला फलोदी

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

6. समसुदीन पुत्र मीरे खां मुसलमान
7. नसरदीन पुत्र मीरे खां मुसलमान
8. इकबाल पुत्र कालू खां मुसलमान
   निवासीगण ग्राम शैतानसिंह नगर, तहसील लोहावट
   जिला फलोदी
9. करनाराम पुत्र भबुतराम,
   निवासी सोउ की ढाणीया रिनिया,
   तहसील तिंवरी जिला जोधपुर
10. हरिराम पुत्र अर्जुनराम विश्नोई
    निवासी ग्राम जम्भेश्वर नगर मोटाई
    तहसील बाप, जिला फलोदी
11. पोकरराम पुत्र भींयाराम जाट
12. केसूराम पुत्र जगरामाराम जाट
13. खेमाराम पुत्र मगनाराम जाट
    निवासीगण ग्राम शैतानसिंह नगर,
    तहसील लोहावट, जिला फलोदी
14. हरिराम पुत्र दलाराम सुथार
15. पूनाराम पुत्र दलाराम सुथार
16. धन्नाराम पुत्र नथुराम सुथार
    निवासीगण ग्राम शैतानसिंह नगर, तहसील लोहावट
    जिला फलोदी

अपीलाण्ट्स...

ब ना म

1. सुगनकंवर पुत्री तख्तसिंह पत्नी भीखसिंह राजपूत
   निवासी ग्राम बेदू कलां निम्बों का तालाब
   तहसील बापिणी, जिला फलोदी
2. सुमेरसिंह पुत्र तख्तसिंह के कायममुकामन–
   2.1. अणचकंवर पत्नी सुमेरसिंह राजपूत
   2.2. सांगसिंह पुत्र सुमेरसिंह राजपूत
        निवासीगण शैतानसिंह नगर,तहसील लोहावट
        जिला फलोदी
   2.3. सुआकंवर पुत्री समेरसिंह राजपूत
3. जालमसिंह पुत्र तख्तसिंह के कायममुकामान–
   3.1. धापूकंवर पत्नी जालमसिंह राजपूत
   3.2. हुक्मसिह पुत्र जालमसिंह राजपूत
   3.3. विक्रमसिंह पुत्र जालमसिंह राजपूत,
        निवासीगण ग्राम रणजीतसिंह की ढाणी,
        शैतानसिंह नगर, तहसील लोहावट,
        जिला फलोदी

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

3.4. अनोपकंवर पुत्री जालमसिंह पत्नी कानसिंह राजपूत,
निवासी ग्राम चिमाणा, तहसील घंटियाली,
जिला फलोदी
3.5. निजुकंवर पुत्री जालमसिंह राजपूत,
निवासी डेढा चक, शेरगढ
3.6. मनोहरकंवर पुत्री जालमसिंह राजपूत
निवासी ग्राम शैतानसिंह नगर तहसील लोहावट
जिला फलोदी
3.7. प्रेमकंवर पुत्री जालमसिंह राजपूत,
निवासी लखसिंह की ढाणी, साकडा,
जैसलमेर
3.8. आसुकंवर पुत्री जालमसिंह राजपूत,
निवासी चिमजीकी ढाणी, देध चक ई ई जोधपुर
देदा हपन शेरगढ राजस्थान 342025

4. हरकंवर पुत्री तख्तसिंह के कायममुकामान–
4.1. मनोहरसिंह पुत्र रामसिंह के कायममुकामान–
4.1.1.सोहनकंवर पत्नी मनोहरसिंह राजपूत,
4.1.2.आनन्दसिंह पुत्र मनोहरसिंह राजपूत
4.1.3.ओंकारसिंह पुत्र मनोहरसिंह राजपूत
4.1.4.रविन्द्रसिंह पुत्र मनोहरसिंह राजपूत
निवासीगण ककू हाउस, एकलव्य स्कूल के पास,
इन्द्रा कॉलोनी, बीकानेर 334001
4.2. राजेंन्द्रसिंह पुत्र रामसिंह राजपूत
निवासी हाउस नम्बर 462
एकलव्य स्कूल के पास,
इन्द्रा कॉलोनी, बीकानेर 334001
4.3. रूगनाथसिंह पुत्र रामसिंह के कायममुकामन–
4.3.1.जयसिंह पुत्र रूगनाथसिंह राजपूत
वार्ड नम्बर 08, ककू तहसील नोखा
जिला बीकानेर 334803
4.4. कमलाकंवर पुत्री रामसिंह पत्नी भंवरसिंह राजपूत
निवासी कवलीसर, तहसील नोखा
जिला बीकानेर 334803

5. गवरीकंवर पुत्री तख्तसिंह पत्नी भैरूसिंह के कायममुकामान–
5.1. गोरखसिंह पुत्र भैरूसिंह राजपूत,
निवासी ग्राम कडवा, तहसील बापिणी,
जिला फलोदी

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

6. ग्राम पंचायत शैतानसिंह नगर (बानासर)
   जरिये सरपंच ग्राम पंचायत शैतानसिंह नगर
   तहसील लोहावट, जिला फलोदी
7. सरकार जरिये तहसीलदार लोहावट
   जिला फलोदी

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 18 दिसम्बर 2023 न्यायालय तहसीलदार लोहावट प्रकरण संख्या 7/2023 सुगनकंवर बनाम अणचकंवर

उपस्थित–
श्री चन्द्रप्रकाश चौधरी, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री पी.आर.विश्नोई, अधिवक्ता–रेस्पो.
रेस्पो. संख्या 7 की ओर से राजकीय अधिवक्ता

नि र्ण य

दिनांक : 18 जून 2024

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा अपील संख्या 3/2023 सुगनकंवर बनाम सुमेरसिंह के कायममुकामान व अन्य में पारित आदेश दिनांक 18 जुलाई 2023 के खिलाफ अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील संख्या 31/2024 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के तहत अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 03 जनवरी 2024 को प्रस्तुत की है। अपील के साथ अपीलाण्ट्स की ओर से एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी अपील प्रस्तुत किये जाने की अनुमति बाबत पेश किया गया। एक अन्य प्रार्थनापत्र अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने बाबत भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रस्तुत किया गया।

इसी प्रकार न्यायालय तहसीलदार लोहावट द्वारा प्रकरण संख्या 7/2023 सुगनकंवर बनाम अणचकंवर में पारित आदेश दिनांक 18 दिसम्बर 2023 के खिलाफ अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील संख्या 5/2024 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 03 जनवरी 2024 को प्रस्तुत की है। अपील के साथ अपीलाण्ट्स की ओर से एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी अपील प्रस्तुत किये जाने की अनुमति बाबत पेश किया गया।

उक्त दोनों अपीलों से संबंधित वादग्रस्त आराजियात, तथ्य एवं विषयवस्तु एक समान होने से उभयपक्ष के अधिवक्तागण की सहमति से इन दोनों अपीलों का निस्तारण एक ही निर्णय से एक साथ किया जा रहा है।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम शैतानसिंह नगर तहसील लोहावट स्थित आराजी खसरा संख्या 130 रकबा 148 बीघा 11 बिस्वा, खसरा संख्या 131 रकबा 75 बीघा 11 बिस्वा, खसरा संख्या 138 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा, खसरा संख्या 145 रकबा 2 बीघा 03 बिस्वा, खसरा संख्या 192 रकबा 93 बीघा 07 बिस्वा, खसरा संख्या 195 रकबा 11 बीघा 01 बिस्वा, खसरा संख्या 166 रकबा 184 बीघा 07 बिस्वा, खसरा संख्या 231 रकबा 363 बीघा 09 बिस्वा एवं खसरा संख्या 191 रकबा 05 बिस्वा कुल खसरा 9 रकबा 873 बीघा 15 बिस्वा बाबत स्वीकृत म्युटेशन संख्या 1 के खिलाफ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लोहावट के समक्ष सुगनकंवर पुत्री तख्तसिंह (पत्नी भीखसिंह) द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत एक अपील प्रस्तुत की गयी, जो अपील संख्या 3/2023 सुगनकंवर बनाम सुमेरसिंह के कायममुकामान व अन्य दिनांक 18 जुलाई 2023 को आंशिक तौर पर स्वीकार की जाकर वादग्रस्त आराजियात बाबत समुचित जांच के बाद पुनः म्युटेशन की कार्यवाही किये जाने बाबत प्रकरण तहसीलदार लोहावट को प्रतिप्रेषित किया गया। जिसके खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के तहत अपील संख्या 31/2024 प्रस्तुत की गयी है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा म्युटेशन अपील संख्या 3/2023 में पारित निर्णय दिनांक 18 जुलाई 2023 के अनुसारण में न्यायालय तहसीलदार लोहावट द्वारा कार्यवाही करते हुए पारित आदेश दिनांक 18 दिसम्बर 2023 के खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत अपील संख्या 5/2024 पेश की गयी।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने प्रकरण के तथ्यों एवं अपील मीमो में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजियात के पूर्व खातेदार तख्तसिंह के देहान्त के बाद ग्राम पंचायत द्वारा उसके वारिसान की जांच कर दिनांक 09 फरवरी 1960 को म्युटेशन संख्या एक स्वीकृत किया गया। उक्त म्युटेशन संख्या एक के अनुरूप राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदारान द्वारा सन 1962 में पंजीबद्ध विक्रय विलेख के जरिये वादग्रस्त आराजियात का बेचान अपीलाण्ट्स के पक्ष में कर कब्जा सुपुर्द कर दिया गया, पंजीबद्ध विक्रय के अनुसरण में राजस्व रिकार्ड में अपीलाण्ट्स/केतागण बतौर खातेदार दर्ज हुए। विगत 60 सालों से भी अधिक समय से अपीलाण्ट्स का वादग्रस्त आराजियात पर कब्जा काश्त चला आ रहा है और मौके पर अपीलाण्ट्स की रहवासीय ढाणिया, ट्युब वेल आदि निर्मित है और स्कूल आदि संचालित हो रही है। अपीलाण्ट्स वादग्रस्त आराजियात के सद्भावी केतागण एवं रिकार्डेड खातेदारान है। मगर मामले में अपीलाण्ट्स को पक्षकार बनाये बिना ही कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन निर्णय/आदेश पारित कर दिये गये, जो न्यायोचित एवं विधिसम्मतः नहीं होने से खारिज किये जावे। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 135(2) के तहत उत्तराधिकार का बिन्दु राजस्व न्यायालय द्वारा विनिश्चित नहीं किया जा सकता है और न ही राजस्व रिकार्ड में वादग्रस्त आराजियात बाबत रिकार्डेड खातेदारा/अपीलाण्ट्स को उनकी खातेदारी भूमि से पंजीबद्ध विक्रय विलेखों को नजरअंदाज करते हुए वंचित किया जा सकता है। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने यह भी जाहिर किया कि अपीलाण्ट्स वादग्रस्त आराजियात से

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

हितबद्ध एवं अपीलाधीन निर्णय/आदेश से प्रतिकूलरूपेण प्रभावित पक्षकार है, अतः अपीलाण्ट्स को अपील की अनुमति प्रदान की जावे। मियाद के संबंध में अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने जाहिर किया कि विचारण न्यायालय में अपीलाण्ट्स को पक्षकार बनाये बिना ही अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18 जुलाई 2023 पारित किया गया है, जिसकी समुचित समय में अपीलाण्ट्स को जानकारी नहीं हो पायी। उक्त निर्णय दिनांक 18 जुलाई 2023 बाबत अपीलाण्ट सुरेशचन्द को सर्वप्रथम दिनांक 29 दिसम्बर 2023 को पटवारी हळका से जानकारी मिल और तब आवश्यक कार्यवाही कर आलौच्य अपील जानकारी की दिनांक से अंदरमियाद प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः अपील अपीलाण्ट्स मियादशुमार की जावे और गुणावगुण पर दोनों अपीलें स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे। अपनी बहस के समर्थन में अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने 2019(2) आरआरटी 1555, 2018(2) आरआरटी 1552, 2018(2) आरआरटी 1355 व 2018(2) आरआरटी 879 के न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये।

जबाब में अधिवक्ता–रेस्पो. ने अपीलाधीन निर्णय/आदेश का समर्थन किया और कथन किया कि वादग्रस्त आराजियात पूर्व में तख्तसिंह पुत्र गजेसिंह की खातेदारी की भूमि थी। उक्त तख्तसिंह के तीन पुत्र सुमेरसिंह, जालमसिंह, मोडसिंह (लाऔलाद फौत) व तीन चार पुत्रिया हरकंवर, गवरीकंवर, सुगनकंवर व समदुकंवर (लाऔलाद फौत) हुए। चूंकि इनमें से मोडसिंह व समदुकंवर लाऔलाद फौत हो जाने से तख्तसिंह के देहान्त के बाद जालमसिंह, सुमेरसिंह, हरकंवर, गवरीकंवर, सुगनकंवर प्रत्येक का वादग्रस्त आराजियात में ⅕–⅕ हक–हिस्सा बनता है। किन्तु तख्तसिंह के देहान्त के बाद म्युटेशन संख्या एक मौजा बानासर (वर्तमान शैतानसिंह नगर) मात्र सुमेरसिंह, जालमसिंह व मोडसिंह के नाम स्वीकृत कर दिया गया, जो न्यायोचित एवं विधिसम्मतः नहीं होने से अपील संख्या 3/2023 में पारित निर्णय दिनांक 18 जुलाई 2023 के जरिये न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा उक्त म्युटेशन स्वीकार किया जाकर समुचित जांच के बाद विधिवत म्युटेशन की कार्यवाही करने बाबत तहसीलदार लोहावट को निर्देशित किया गया, और तदनुसार कार्यवाही करते हुए तहसीलदार लोहावट द्वारा प्रकरण संख्या 7/2023 में अपीलाधीन आदेश दिनांक 18 दिसम्बर 2023 पारित किया गया। जो न्यायोचित एवं विधिसम्मतः होने से इनके खिलाफ प्रस्तुत दोनों अपीलें खारिज किये जाने योग्य है। अधिवक्ता–रेस्पो. ने अपनी बहस के समर्थन में न्यायालय का ध्यान 2005 आरआरडी 87, 1984 आरआरडी 851, 2011(2) आरआरटी 1253, 1985 आरआरडी 170, 1995 आरआरडी 300, 2015(3) सीसीसी 270, 2019(2) आरआरटी 1118, 2020(2) आरआरटी 998 एवं 2023(1) डीएनजे 515 की ओर आकर्षित किया और कथन किया कि म्युटेशन संख्या एक पूर्व खातेदार तख्तसिंह के सभी प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों के नाम स्वीकृत नहीं किये जाने के कारण विधिसम्मतः नहीं है और ऐसी स्थिति में उक्त म्युटेशन के आधार पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदारान द्वारा किये गये अधिकार–विहीन बेचान एवं उसके आधार पर उत्तरोत्तर वादग्रस्त आराजियात के किये गये बेचान/हस्तान्तरण विधि की दृष्टि में शून्य–प्रभावी होने से महत्वहीन है। विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा पारित अपीलाधीन

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

निर्णय दिनांक 18 जुलाई 2023 एवं उसके अनुसरण में कार्यवाही करते हुए न्यायालय तहसीलदार लोहावट द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18 दिसम्बर 2023 न्यायोचित एवं विधिसम्मतः होने से उनमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता एवं औचित्य नहीं है। अतः प्रस्तुत अपीलें सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं प्रस्तुत नजीरों एवं उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन किया गया। जहाँ तक अपील प्रस्तुत करने की अनुमति बाबत दोनों अपीलों के साथ प्रस्तुत प्रार्थनापत्रों का प्रश्न है, इस संबंध में उपलब्ध अभिलेखानुसार अपीलाण्ट्स वादग्रस्त आराजियात से हितबद्ध एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18 जुलाई 2023 एवं उसके अनुसरण में कार्यवाही करते हुए न्यायालय तहसीलदार लोहावट द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18 दिसम्बर 2023 से प्रतिकूलरूपेण प्रभावित पक्षकार होना पाया जाता है। अतः अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत बहस एवं प्रार्थनापत्रों में अंकित बिन्दुओं पर विश्वास करते हुए उक्त प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाते है और अपीलाण्ट्स को आलौच्य अपीलें प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

चूंकि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लोहावट के समक्ष प्रस्तुत अपील प्रकरण में वर्तमान अपील के अपीलाण्ट्स को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया, इस कारण उक्त अपील प्रकरण एवं अपीलाधीन निर्णय बाबत समुचित समय में अपीलाण्ट्स को जानकारी नहीं होना भी स्वभाविक पाया जाता है। अतः इन तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मियाद प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है एवं प्रस्तुत अपील अन्दर मियादशुमार की जाती है।

गुणावगुण के संबंध में आलौच्य मामले में वादग्रस्त आराजियात के पूर्व खातेदार तख्तसिंह पुत्र गजेसिंह के देहान्त के बाद दिनांक 09 फरवरी 1960 को स्वीकृत म्युटेशन संख्या एक के खिलाफ करीब 63 वर्ष बाद दिनांक 04 अप्रेल 2023 को सुगनकंवर पुत्री तख्तसिंह (वर्तमान अपीलों में रेस्पो. संख्या एक) की ओर से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लोहावट के समक्ष अपील पेश की गयी। इससे पूर्व **उक्त म्युटेशन के खिलाफ करीब 63 वर्ष की अवधि कोई चाराजोई किया जाना प्रकट नहीं होता है।** उक्त म्युटेशन के जरिये वादग्रस्त आराजियात बाबत राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदारान द्वारा सन 1962 में किये गये पंजीबद्ध बेचान के आधार पर वादग्रस्त आराजियात बाबत उत्तरोत्तर बेचान/हस्तान्तरण एवं संपरिवर्तन की कार्यवाही होना भी उपलब्ध अभिलेख से प्रकट होता है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजियात के पंजीबद्ध विक्रय के आधार पर राजस्व रिकार्ड में वादग्रस्त आराजियात बाबत अभिलिखित खातेदारान को पक्षकार संयोजित किये बिना एवं उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान किये बिना न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18 जुलाई 2023 एवं उसके अनुसरण में कार्यवाही करते हुए न्यायालय तहसीलदार लोहावट द्वारा पारित अपीलाधीन

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

आदेश दिनांक 18 दिसम्बर 2023 विधिसम्मतः एवं न्यायोचित नहीं पाये जाते है। समय–समय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं विभिन्न माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा यह धारित किया गया है कि म्युटेशन की कार्यवाही मात्र एक फिस्कल कार्यवाही होती है जिसके माध्यम से न तो खातेदारी अधिकारों का सृजन किया जा सकता है और न ही किसी रिकार्डेड खातेदार के अधिकार समाप्त किये जा सकते है। इतना ही नहीं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं विभिन्न माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा यह भी प्रतिपादित किया गया है कि पंजीबद्ध विक्रय विलेखों की वैधता के संबंध में राजस्व न्यायालयों को विनिश्चयन का क्षेत्राधिकार उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में आलौच्य मामले में अपीलाण्ट्स (जो कि राजस्व रिकार्ड में वादग्रस्त आराजियात बाबत खातेदार दर्ज है) के पक्ष में पंजीबद्ध बेचाननामों को नजरअंदाज करते हुए न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18 जुलाई 2023 एवं उसके अनुसरण में कार्यवाही करते हुए न्यायालय तहसीलदार लोहावट द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18 दिसम्बर 2023 समर्थन किये जाने योग्य नहीं पाये जाते है। अधिवक्ता–रेस्पो. द्वारा प्रस्तुत नजीरों का अदालत हाजा पूर्ण सम्मान करती है, किन्तु मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान म्युटेशन संबंधी अपील स्तर पर रेस्पो. को इन नजीरों के प्रकाश में कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है। अदालत हाजा की विनम्र राय में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के आधार पर रेस्पो. वादग्रस्त आराजियात में अपने कोई हक–हकूक होना मानते है तो उन्हें विधिवत इस संबंध में संबंधित कानूनी प्रावधानों के अनुरूप नियमित दावा सक्षम न्यायालय में पेश करना चाहिये, वर्ष 1962 में स्वीकृत म्युटेशन के खिलाफ वर्ष 2023 में प्रस्तुत म्युटेशन अपील के जरिये रेस्पो. को कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है।

उपरोक्त समस्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर आलौच्य दोनों अपीलें स्वीकार की जाती है और न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18 जुलाई 2023 एवं उसके अनुसरण में कार्यवाही करते हुए न्यायालय तहसीलदार लोहावट द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18 दिसम्बर 2023 विधिसम्मतः एवं न्यायोचित नहीं पाये से तदनुसार खारिज किये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 18 जून 2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18.06.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर